न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 99/2020 **दायर तारीख :–** 27-07-2020

1. बाई उर्फ बिमला पुत्री छीतर पत्नि बीरबल जाति यादव निवासी ढाणी चौलाया तन गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— प्रार्थीया**

बनाम

1. छीतरमल पुत्र श्री बोदूराम } जाति यादव निवासी बहडौदा तन ढाणी गैसकान
2. छाजूराम पुत्र श्री छीतर } तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. मंगी उर्फ शांति पुत्र छीतर पत्नि बीरबल (फौत) } जाति यादव निवासी मांजूकोट
   3/1. कृष्णा पुत्री मंगी उर्फ शांति पत्नि बीरबल } तहसील पावटा जिला जयपुर
4. सुरजी पुत्री छीतर पत्नि प्रहलाद जाति यादव निवासी रामनगर तन बजरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. उपपंजीयक कार्यालय, उपपंजीयन विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जयपुर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता अप्रार्थी 1, 2, 3/1, 4
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 25.03.2021

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बहडौदा के खसरा नंबर 442/0.77, 443/0.04, 535/0.74, 546/0.71, 547/1.31 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। हाल खसरा नंबरं 442/0.77 हैक्टेयर के साबिक खसरा नंबर 305 मि, 307 मि, 443/0.04 हैक्टेयर के साबिक खसरा नंबर 305 मि, 307 मि, 535/0.74 हैक्टेयर के साबिक खसरा नंबर 331, 546/0.71 हैक्टेयर के साबिक खसरा नंबर 312, 313, 314, खसरा नंबर 547/1.31 हैक्टेयर के साबिक खसरा नंबर 315, 316, 317 मि, 335 मि रहे है। साबिक सैटलमेंट संवत् 2008–2027 के रिकॉर्ड में वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 छीतर पुत्र बोदू एवं भूरा पुत्र श्योसहाय के नाम दिगर खसरा नंबरों के साथ खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड रही है, जो हाल सैटलमेंट में बंटवारा कर भूरा पुत्र श्योसहाय के वारिसों एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अलग–अलग खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड की गई है। यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि परिवार की संयुक्त खातेदारी भूमि रही है, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का जन्म से ही अधिकार है। वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2005 में किए गए संशोधन के अनुसार एक पुत्री भी पिता के जीवनकाल में ही अपने हिस्से की घोषणा करवाने एवं अपना हिस्सा पृथक से प्राप्त करने की कानूनी हकदार है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 छाजू पुत्र छीतर जो प्रार्थी का भाई है, शेष अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 से मिलकर उक्त सम्पूर्ण आराजी को अकेले ही हडप कर लेना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 छीतर पुत्र बोदू जो कि रिश्ते में प्रार्थी का पिता एवं शेष अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 का पिता है, जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 अनुचित दबाव डालकर एवं शारिरीक एवं मानसिक यातनाएं देकर अकेले ही उक्त खातेदारी भूमि अपने स्वयं या अपने बेटों के नाम करवाना चाहता है और प्रार्थीया को उसके हक अधिकारों से वंचित करना चाहते है, जबकि खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 छीतर पुत्र बोदू के 3 पुत्रियां एंव एक पुत्र एवं स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 के हिसाब से सभी हिस्सा 1/5–1/5 के हकदार है। यह है कि संयुक्त परिवार की खातेदारी भूमि में वादिया का जन्म से ही पुत्र के समान हक है एवं प्रार्थीया संयुक्त परिवार की भूमि पर परिवार के मार्फत काबिज होकर काश्त कर रही है। किसी एक सह खातेदार का कब्जा सभी सह खातेदारों का कब्जा भी विधि में माना गया है, जिससे भी प्रार्थीया का कब्जा काश्त होना साबित होता है। यह है कि एक सह खातेदार का कब्जा दूसरे सह खातेदार का कब्जा माने जाने के अनुसार अकेले अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 का कब्जा काश्त किसी कदर माना भी जावें तो भी सह खातेदार का कब्जा एडवर्स पजेशन की तारीफ में नहीं आने या परिमिशिन पजेशन की तारीफ में आने से भी प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने की हकदान है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीण को ऐलानिया धमकी देने लेगे। यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी को अमल में लाते हुए वाद ग्रस्त आराजी को रहन वय विकय अन्तरण करने एवं किसी दिगर व्यक्ति को कब्जा करवाने में सफल हो गए तो प्रार्थीण को समय व धन की अनावश्यक बर्बादी होगी तथा प्रार्थीया को जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन के रूप में करवाई जाना संभव नहीं होगा। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम बहडौदा के खसरा नंबर 442/0.77, 443/0.04, 535/0.74, 546/0.71, 547/1.31 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर के संबंध में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा को रहन बय विकय अंतरण पंजीयन नहीं करें व नहीं करावें, रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3/1, 4 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल हाल जमाबंदी वाके ग्राम बहडौदा खाता संख्या 11 जमाबंदी संवत् 2075–2078, नकल हाल खतौनी जमाबंदी ग्राम बडौदा खाता संख्या 13 संवत् 2039, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल साबिक खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 8 संवत् 2008–2027, नकल

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दावा मुकदमा संख्या 6/2014 उनवान ईश्वर बनाम छीतरमल वगैरह आदि पेश किये।

4. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। कथन रहे कि रहे कि विवादित मुतनाजा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 ही रिकॉर्डेड खातेदार है। विवादित आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रिकॉर्ड दर्ज है जो कि स्वयं की स्वअर्जित मुतनाजा है, प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री अवश्य है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 अभी जीवित है तथा अपने जीवन काल तक अप्रार्थी संख्या 1 की ही इकलौती सम्पत्ति रहेगी, अप्रार्थी संख्या 1 के मरणोपरान्त ही प्रार्थीया या अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरासत के रूप में सम्पत्ति का हक अधिकार मिल सकता है, इससे पूर्व प्रार्थीया का कोई अधिकार नहीं उत्पन्न होता है। अप्रार्थीगण के मन में कोई दुर्भावना नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 जो विवादित भूमि का अकेला खातेदार है। सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के ही कब्जे काश्त रही है। अप्रार्थी संख्या 2 छाजू अप्रार्थी संख्या 1 का एकलौता पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ही अपने पिता छीतर को अपने पास रखता है अप्रार्थी संख्या 2 ही अपने पिता छीतर को अपने पास रखता है तथा बुढापे में सेवा, अर्चना, खाने पीने से लेकर दवा तक का बन्दोबस्त अप्रार्थी संख्या 2 ही करता हैं। प्रार्थीया ने यह बिन्दू बनावटी तथ्यों तथा प्रार्थना पत्र दायरी के मकसद से लिखा है, चूंकि प्रार्थीया अपने पति के पास ससुराल में ही निवास कर रही है विवादित मुतनाजा से प्रार्थीया का कोई संबंध नहीं रहा है। प्रार्थीया का यह कथन भी झूंठा है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 यानि पिता छीतर को कोई धमकी दी हेा या डराया धमकाया हो अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र के साथ रहने से पूर्ण रूप से खुश है। अप्रार्थी संख्या 1 को पूरा–पूरा अधिकार है कि विवादित मुतनाजा का वह रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी सम्पत्ति को उपयोग में लेने बेचान करने आदि का तमाम अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया का विवादित मुतनाजा में हस्तक्षेप करना विधि विरूद्व है। प्रार्थीया का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रिकॉर्ड दर्ज भूमि को अपने नाम करवाने का कोई दबाव बनाया हो अप्रार्थी संख्या 1 कानूनी रूप से स्वतंत्र है कि अपने नाम रिकॉर्डेड भूमि को किसी भी प्रकार किसी को भी अन्तरण करने का अधिकार रखता है किन्तू प्रार्थीया के मन में दुर्भावना पैदा हो रही है और गैर कानूनी रूप से अपना अधिकार जमाना चाहती है अप्रार्थी संख्या 1 की बेशकिमती भूमि को खुद हडपना चाहती है। प्रार्थीया को विवादित भूमि में संयुक्त परिवार का कोई हक अधिकार नहीं बनता, क्योंकि विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने बुजुर्गो से विरासत में नहीं मिली है। अप्रार्थी संख्या 1 की स्वय की स्वअर्जित सम्पत्ति है प्रार्थीया विवादित भूमि को विरासत की भूमि होना दौरान विचारण स्वयं सिद्व करें। विवादित भूमि में ना तो प्रार्थीया को कोई कब्जा काश्त है और ना ही अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का कोई कब्जा काश्त चला आ रहा है और अब अपनी भूमि को बटाई में खेती करवा कर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

अपना गुजर बसर कर रहा है इस प्रकार प्रार्थीया या अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का कोई एडवर्स पजेशन नहीं है। प्रार्थीया को विवादित मुतनाजा में हस्तक्षेप करने का कोई हक अधिकार नहीं है। विवादित भूमि पर प्रार्थीया को काई हक अधिकार है ही नही तो प्रार्थीया को किस प्रकार की अपूरणीय हानि हो सकती है, क्योंकि प्रार्थीया का विवादित मुतनाजा से कोई संबंध नहीं है इस कारण प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 1 एंव 2 लगायत 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का कोई हक अधिकार नहीं है। तथा प्रार्थीया को किसी भी प्रकार का कोई सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में साबित नहीं होता है ना ही प्रार्थीया को कोई अपूरणीय क्षति कारित होने का अंदेशा है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है। विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है साबिक रिकॉर्ड खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2008 से 2027 अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/2 अनुसार रिकॉर्ड दर्ज चली आ रही है बाद वरवक्त सैटलमेंट अप्रार्थी को बंटवारा पश्चात पृथक से खातेदार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 शुरू से निर्विवाद काबिज होकर खेती कर रहा है। बिजली कनेक्शन भी अप्रार्थी सख्या 1 छीतर के नाम से लगा हुआ हैं। प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री है। प्रार्थीया की शादी पूर्व में हो चुकी है, जो शुरू से ही अपने पति के साथ ससुराल में स्थायी रूप से निवास कर रही है। विवादित मुतनाजा पर प्रार्थीया का कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा आदि नहीं रहा ना ही प्रार्थीया कभी विवादित मुतनाजा के किसी भू–भाग पर खेती की है प्रार्थीया के मन में बदनियती के चलते दुर्भावना आ गई और मनगढन्त झूठे तथ्य पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 की बेशकिमती भूमि को हडप करने की गरज से न्यायालय हाजा में वाद दायरी की हे जो सरासर गलत है कानून के मुताबिक एक रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किया जा सकता और न्यायालय द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ व्यायदेश जारी करना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्व भी है। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2020 को अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है जो आदेश 39 नियम 1 व 2 के विरूद्व है। उक्त आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है जो कि आदेश 39 नियम 3–क का उल्लघंन भी करता है, क्योंकि किसी भी पक्षकार के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई में यदि अन्तरिम व्यायदेश जारी किया जाता है तो उसका निरतारण न्यायालय द्वारा आदेश की दिनांक से 30 दिनों तक करना आवश्यक होता है "Gurzant Singh Jat Sikh & Anr. V/s Gurel Singh Jat Sikh &Anr. Board og Revenue of Rajasthan 70 (2017) DNI (Rev.) Passage N.5,6 इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा पारित व्यायदेश रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ है। RTA 1955 की धारा 212 के अनुसार किसी रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। Prahalad & Anr. V/S Sriram & Ors (RRT 523-2014(1)) Passage n. 7, 8

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Board of Revenue for Rajasthan". " Kesar Ram V/S Roza Khan RLW 2012 (2) passage n. 6, 7 Board of Revenue of Rajasthan". Mohar pal & Ors V/S Prbhu Singh RRT 2013 (1) page number 123 passage n. 7 Board of Revenue of Rajasthan". उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को देखते हुए अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार तथा विवादित मुतनाजा का कब्जा काश्त भी शुरू से ही चला आ रहा है।। तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि विरूद्व एवं सार हीन होने के कारण सरसरी तौर पर ही खारिज करने योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जो सारहीन एवं विधि विरूद्व होने के कारण भारी से भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमाने की कृपा करे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3/1, 4 की तरफ से अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल आदेशिका मुकदमा संख्या 6/2014 उनवान ईश्वर बनाम छीतरमल वगैरह, नकल दावा मुकदमा संख्या 6/2014 उनवान ईश्वर बनाम छीतरमल वगैरह, नकल जवाब दावा मुकदमा संख्या 6/2014 उनवान ईश्वर बनाम छीतरमल वगैरह, फोटो प्रति ममता पुत्री छाजूराम शपथ पत्र मुख्य परीक्षण मुकदमा संख्या 6/2014 उनवान ईश्वर बनाम छीतरमल वगैरह आदि पेश किए है।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3/1, 4 के तरफ से Gurzant Singh Jat Sikh & Anr. V/s Gurel Singh Jat Sikh &Anr. Board og Revenue of Rajasthan 70 (2017) DNI (Rev.) Passage N.5,6, Prahalad & Anr. V/S Sriram & Ors (RRT 523-2014(1)) Passage n. 7, 8 Board of Revenue for Rajasthan". " Kesar Ram V/S Roza Khan RLW 2012 (2) passage n. 6, 7 Board of Revenue of Rajasthan". Mohar pal & Ors V/S Prbhu Singh RRT 2013 (1) page number 123 passage n. 7 Board of Revenue of Rajasthan, Annant pal singh rajput &Ors. V/S sumer singh rajput & Ans. 2017(DNJ)(raj.)1 आदि नेक दृष्टांत पेश किए हैं।

7. अधिवक्ता प्रार्थीया की तरफ से RBJ 2015 page 545, RBJ 2000 pages 483, RBJ 2000 page 69, RBJ 2015 page 299 आदि नेक दृष्टांत पेश किए है।

8. उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया को अपने पक्ष में निम्न 3 बिन्दु स्थापित करने है–

(1). प्रथम दृष्टया मामला:– उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीया पर था। प्रार्थीया ने विवादित खसरा नंबर 442/0.77, 443/0.04, 535/0.74, 546/0.71, 547/1.31 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है, परन्तु उक्त विवादित खसरा नंबर पर प्रार्थीया के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 की वारिस है, परन्तु प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

साक्ष्य पेश नहीं किया है कि उक्त विवादित खसरा नंबरा की भूमि प्रार्थी संख्या 1 को पैतृक रूप से उसके बुजुर्गो से प्राप्त हुई हैं। मुकदमा संख्या 6/2014 उनवान ईश्वर बनाम छीतरमल मे प्रार्थीया ने अपने जवाब दावे में विवादित खसरा नंबरों को अप्रार्थी संख्या 1 छीतर अर्थात प्रार्थीया अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति न होकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति होना उल्लेख किया हैं, जिससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। तथा प्रार्थीया ने मुकदमा संख्या 6/2014 उनवान ईश्वर बनाम छीतरमल मे प्रार्थीया ने अपने जवाब दावे के विशेष कथन में उल्लेख किया है कि किसी भी हिन्दू की स्वअर्जित सम्पत्ति में जन्म से ही पुत्र व पुत्रियों का हक नहीं होता है, जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया को सब बातों की जानकारी होते हुए भी गलत तरीके से अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा सिद्वान्त के अनुसार पोषणीय नहीं है। अतः विवादित भूमि पर प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता हैं।

(2). सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उक्त दोनों बिन्दुओं को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था प्रार्थीया ने विवादित खसरा नंबर 442/0.77, 443/0.04, 535/0.74, 546/0.71, 547/1.31 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रका 3.57 हैक्टेयर के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 की वारिस है, परन्तु प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है कि उक्त विवादित खसरा नंबरा की भूमि प्रार्थी संख्या 1 को पैतृक रूप से उसके बुजुर्गो से प्राप्त हुई हैं। मुकदमा संख्या 6/2014 उनवान ईश्वर बनाम छीतरमल मे प्रार्थीया ने अपने जवाब दावे में विवादित खसरा नंबरों को अप्रार्थी संख्या 1 छीतर अर्थात प्रार्थीया अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति न होकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति होना उल्लेख किया हैं, जिससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। तथा प्रार्थीया ने मुकदमा संख्या 6/2014 उनवान ईश्वर बनाम छीतरमल मे प्रार्थीया ने अपने जवाब दावे के विशेष कथन में उल्लेख किया है कि किसी भी हिन्दू की स्वअर्जित सम्पत्ति में जन्म से ही पुत्र व पुत्रियों का हक नहीं होता है, जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया को सब बातों की जानकारी होते हुए भी गलत तरीके से अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जब विवादित खसरा नंबर 442/0.77, 443/0.04, 535/0.74, 546/0.71, 547/1.31 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर पर प्रार्थीया का हक या अधिकार साबित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं करने पर उन्हें किस प्रकार असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीया दोनों बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं करने पर प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की असुविधा व अपूरणीय क्षति नहीं

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

होगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तीनों बिन्दुओं को प्रार्थीया अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई साक्ष्य दस्तोवज पेश नहीं किए गए, जिससे प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति साबित होती हो। प्रार्थीया तीनों बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है, जिस कारण वह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)